न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 196 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 303

प्रार्थीगण

1.कलू पत्नि गेनाराम
2.लेहरों पत्नि पूनमाराम
3.सांवलाराम पुत्र केहराराम
4.किशनाराम पुत्र गेनाराम
5.चंदु पुत्री गेनाराम
6.चन्द्राराम पुत्र गंगाराम
7.छगनाराम पुत्र पूनमाराम
8.नारायणराम पुत्र पूनमाराम
9.पीरा पुत्री गेनाराम
10.बाबुलाल पुत्र गेनाराम
11.भीखाराम पुत्र थानाराम
जाति मेघवाल निवासी कालेवा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.पुरखाराम पुत्र दीपाराम
2.भैराराम पुत्र दीपाराम
3.चुतराराम पुत्र दीपाराम
4.चम्पाराम पुत्र दीपाराम
5.ताजाराम पुत्र दीपाराम
6.धर्मो पत्नी लच्छाराम
7.बाबुराम पुत्र लच्छाराम
8.केहनाराम पुत्र लच्छाराम
9.वागाराम पुत्र लच्छाराम
10.चनणाराम पुत्र लच्छाराम
जाति मेघवाल
निवासी साजियाली पदमसिंह प्रथम
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
11.देवीसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत
12.गुमनाराम पुत्र दलाराम
13.नारणाराम पुत्र वन्नाराम
14.जेठाराम पुत्र वन्नाराम
15.गुमनाराम पुत्र वन्नाराम
16.जगाराम पुत्र वन्नाराम
17.पेमाराम पुत्र राणाराम
18.दिलीप पुत्र मूलाराम जाति जाट
19.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर,जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.विप्रार्थी एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 06.12.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम साजियाली पदमसिंह प्रथम पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 210 व 228 भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम साजियाली पदमसिंह प्रथम पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 210 व 228 भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम साजियाली पदमसिंह प्रथम पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 210 व 228 भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम साजियाली पदमसिंह प्रथम पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 210 व 228 भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम साजियाली पदमसिंह प्रथम पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 210 व 228

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.03.2023 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम साजियाली पदमसिंह प्रथम पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 210 व 228 भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 06/12/24
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.12.2024 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 06/12/24
बालोतरा